छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 24 दिसम्बर,2020 (पौष 3,1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020–21 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रथम सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को उपस्थिति कम बताकर परीक्षा में बैठने हेतु अपात्र घोषित किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना व अभिरक्षा में मौतें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 13, कुनकुरी के सदस्य, श्री यू.डी. मिंज को दिसम्बर, 2020 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति का इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 2

6. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 3, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 64, 67, 68, 79, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–4) विधेयक, 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक,2020(क्रमांक 34 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

8. अशासकीय संकल्प

1 घंटा (1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भारतीय जीवन बीमा निगम का विनिवेशीकरण न किया जाय, इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध न किया जाय तथा इसका आई.पी.ओ. जारी न किया जाय।"

1 घंटा (2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि"प्रदेश में नशामुक्ति केन्द्र एवं पुनर्वास केन्द्र खोले जायें।"

30 मिनट (3) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "प्रदेश के शासकीय स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 23 दिसम्बर,2020